



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17072024-255489
CG-DL-E-17072024-255489

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 375]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 16, 2024/आषाढ 25, 1946

No. 375]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 16, 2024/ASHADHA 25, 1946

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 412(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 149 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक, उपधारा (4), उपधारा (6) के खंड (च), धारा 150 की उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 151, धारा 152 की उपधारा (5), धारा 153, धारा 154, धारा 157, धारा 160, धारा 168 की उपधारा (1) और धारा 170 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) (संशोधन) नियम, 2024 है।
- ये नियम तारीख 01 अगस्त, 2024 से प्रवृत्त होंगे।
- कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 में, नियम 12क में,-

(क) तीसरे परंतुक में, 'केवल' शब्द के पश्चात् 'वित्तीय वर्ष की 30 सितंबर को या उससे पहले' शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परन्तु यह भी कि यदि कोई वैयक्तिक तीसरे परंतुक के अधीन अनुज्ञात अद्यतन करने के अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय दोबारा अपना निजी मोबाइल नम्बर या ई-मेल पता अद्यतन कराने का इच्छुक हो तो वह पांच सौ रुपये की फीस के संदाय पर ई-प्ररूप डीआईआर-3 केवाईसी प्रस्तुत करके उसे अद्यतन कर सकेगा”।

[फा. सं. 8/4/2018-सीएल-1]

मनोज पाण्डेय, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 259(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 38(अ) तारीख 20 जनवरी, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2024

G.S.R. 412(E).—In exercise of the powers conferred under second proviso to sub-section(1), sub-section (4), clause (f) of sub-section (6) of section 149, sub-sections (3) and (4) of section 150, section 151, sub-section (5) of section 152, section 153, section 154, section 157, section 160, sub-section (1) of section 168 and section 170 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, namely: -

1. These rules may be called the Companies (Appointment and Qualification of Directors) (Amendment) Rules, 2024.
2. They shall come into force from the **01st day of August, 2024.**
3. In the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, in rule 12A, —
 - (a) in the third proviso, after the word “only”, the words and figures “on or before 30th September of the financial year” shall be inserted;
 - (b) after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely: —

“Provided also that if an individual intends to update his personal mobile number or the email address again at any time during the financial year in addition to the up-dation allowed under the third proviso, he shall update the same by submitting e-form DIR-3 KYC on payment of fees of five hundred rupees:”.

[F. No. 8/4/2018-CL-1]

MANOJ PANDEY, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 259(E), dated the 31st March, 2014 and last amended, *vide* notification number G.S.R. 38(E), dated the 20th January, 2023.